

प्रेषक,

आशीष तिवारी  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,  
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,  
उ०प्र० लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2**

लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 2020

**विषय:**—जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (एस०एच०-84) की बाँधी पटरी पर किमी० 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा सं० 1149/2 व 1150 मि० पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।


**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/08/2020/एफ.सी./621 दिनांक 05.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1228/11-सी-एफपी/यूपी/Others/41601/2019, दिनांक 24.11.2020 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

**भवदीय,**


  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।